THE
POLICE ACT 1861
(Act No. 05 of 1861)

पुलिस अधिनियम, 1861

[Enactment Date: 22nd March, 1861]

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

THE
UTTAR PRADESH POLICE REGULATIONS ACT

उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम (रेगुलेशन) अधिनियम

हिंदी संस्करण

Sample Preview

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

INDEX

S. No.	TOPIC	*Page No.*
I.	**Legal Disclaimer**	**(i)**
II.	**Act/Rules**	**1-175**
1.	पुलिस अधिनियम, 1861	**1-28**
2.	उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम (रेगुलेशन) अधिनियम	**29-175**
III.	**QR Code** for **Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)**	**176**

Sample Preview

Legal Disclaimer

All efforts have been made to avoid any kind of typing or other kind of error or omission, though It is humbly requested to all readers that in case of doubt kindly prefer official text of the legislation as passed by Parliament. By **Scanning following QR code** You may have official text of parliament regarding POLICE ACT 1861 & UTTAR PRADESH POLICE REGULATIONS: -

All Disputes are subject to Jodhpur Jurisdiction only.

किसी भी प्रकार की टाइपिंग या अन्य प्रकार की त्रुटि या चूक से बचने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, हालांकि सभी पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि संदेह की स्थिति में कृपया संसद द्वारा पारित विधि के आधिकारिक शब्दों को प्राथमिकता दें। **निम्न प्रस्तुत क्यूआर कोड को स्कैन करके** आप पुलिस अधिनियम, 1861 & उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के संबंध में संसद का आधिकारिक पाठ प्राप्त कर सकते हैं: -

Source: *https://legislative.gov.in* & https://uppolice.gov.in/article/en/act-rules

Sample Preview

Police Act 1861

Uttar Pradesh Police Regulations

THE
POLICE ACT 1861

(Act No. 05 of 1861)

पुलिस अधिनियम, 1861

[Enactment Date: 22nd March, 1861]

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

THE POLICE ACT 1861

(Act No. 05 of 1861)

[22nd March, 1861]

———

ARRANGEMENT OF CLAUSES

———

Sec. No.	TITLE	Page No.
	Preamble / उद्देशिका	4
1.	Interpretation clause / निर्वचन खण्ड	4
2.	Constitution of the force / बल का गठन।	4
3.	Superintendence in the State Government / राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा	4
4.	Inspector-General of Police, etc. / पुलिस महानिरीक्षक आदि	*6*
5.	Powers of Inspector-General- Exercise of Powers / महानिरीक्षक की शक्तियां - शक्तियों का प्रयोग	*6*
6.	Repealed	*6*
7.	Appointment, dismissal, etc. of inferior officers / अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि	*6*
8.	Certificates to police officers / पुलिस अधिकारियों को प्रमाणपत्र	*6*
9.	Police-officers not to resign without leave or two months' notice / पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या दो मास की सूचना के पद-त्याग नहीं करेंगे	*8*
10.	Police-officers not to engage in other employment / पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे	*8*
11.	Repealed	*8*
12.	Power of Inspector-General to make rules / महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति	*8*
13.	Additional police-officers employed at cost of individuals / व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी	*8*
14.	Appointment of additional force in the neighbourhood of railway and other works / रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति	*10*
15.	Quartering of additional police in disturbed or dangerous districts / विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना	*10*
15A.	Awarding compensation to sufferers from misconduct of inhabitants or persons interested in land / निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना	*12*
16.	Recovery of moneys payable under sections 13, 14, 15 and 15A, and disposal of same when recovered / धारा 13, 14, 15 और 15क के अधीन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन	*12*
17.	Special police-officers / विशेष पुलिस अधिकारी	*14*
18.	Powers of special police-officers / विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां	*14*
19.	Refusal to serve as special police-officers / विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इन्कार	*14*
20.	Authority to be exercised by police-officers / पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार	*14*
21.	Village police-officers / ग्राम पुलिस अधिकारी	*14*
22.	Police-officers always on duty and may be employed in any part of district / पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे	*14*

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

[1]THE POLICE ACT 1861

Act No. 05 of 1861

[22nd March, 1861]

An Act for the Regulation of Police

Preamble: - WHEREAS it is expedient to re-organise the police and to make it a more efficient instrument for the prevention and detection of crime; It is enacted as follows:-

1. Interpretation clause

The following words and expressions in this Act shall have the meaning assigned to them, unless there be something in the subject of context repugnant to such construction, that is to say-

the words "**Magistrate of the district**" shall mean the chief officer charged with the executive administration of a district and exercising the powers of a Magistrate, by whatever designation the chief officer charged with such executive administration is styled;

the word "**Magistrate**" shall include all persons within the general police district, exercising all or any of the powers of a Magistrate,

the word "**Police**" shall include all persons who shall be enrolled under this Act;

the word "**general police-district**" shall embrace any presidency, State of place or any part of any presidency, State or place in which this Act shall be ordered to take effect;

[2][the words "**District Superintendent**" and "**District Superintendent of Police**" shall include any Assistant District Superintendent or other person appointed by general or special order of the State Government to perform all or any of the duties of a District Superintendent of Police under this Act in any district;]

the word "**property**" shall include any movable property, money or valuable security;

[3]***

the word "**person**" shall include a company or corporation;

the word "**month**" shall mean a calendar month;

[4]the word "**cattle**" shall, besides horned cattle, include elephants, camels, horses, asses, mules, sheep, goats and swine.

[5][References to the subordinate ranks of a police-force shall be construed as references to members of that force below the rank of Deputy Superintendent.]

2. Constitution of the force

The entire police-establishment under a State Government shall, for the purposes of this Act, be deemed to be one police-force and shall be formally enrolled; and shall consist of such number of officers and men, and shall be constituted in such manner, as shall from time to time be ordered by the State Government.

[5][Subject to the provisions of this Act, the pay and all other conditions of service of members of the subordinate ranks of any police-force shall be such as may be determined by the State Government.]

---

1 Short title given by the Indian Short Titles Act, 1897 (14 of 1897)

2 Ins. By Act No. 8 of 1895, sec 1.

3 The definitions relating to "number" and "gender" rep. by Act No. 10 of 1914, sec. 3 and sch. II.

4 Cf. definition of "cattle" in sec. 3 of the Cattle-trespass Act, 1871 (1 of 1871).

5 Ins. by the A.O. 1937.

www.LinkingLaws.com

Sample Preview

[1]पुलिस अधिनियम, 1861
(1861 का अधिनियम संख्यांक 5)

[22 मार्च, 1861]

पुलिस के विनियमन के लिए अधिनियम

उद्देशिका – यत: पुलिस को पुनर्गठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

1. निर्वचन खण्ड

जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है, अर्थात्–

"**जिले का मजिस्ट्रेट**" से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिक प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है चाहे ऐसे कार्यपालिक प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी पदाभिदान से ज्ञात हो;

"**मजिस्ट्रेट**" शब्द के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं;

"**पुलिस**" शब्द के अन्तर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं;

"**साधारण पुलिस जिला**" में कोई प्रेसिडेन्सी, राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेन्सी, राज्य या स्थान का कोई भाग आता है, जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है;

[2]["**जिला अधीक्षक**" और "**जिला पुलिस अधीक्षक**" शब्दों के अन्तर्गत सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है;

"**सम्पत्ति**" शब्द के अन्तर्गत कोई जंगम सम्पत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है;

[3]***

"**व्यक्ति**" शब्द के अन्तर्गत कम्पनी या निगम आता है;

"**मास**" शब्द से कलेण्डर मास अभिप्रेत है;

[4]"**ढोर**" शब्द के अन्तर्गत सीगों वाले ढोरों के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेडें, बकरियां और सूअर आते हैं ।

[5][पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाए कि वे निर्देश उस बल के उपअधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति हैं ।

2. बल का गठन

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतित: भर्ती किया जाएगा और वह अधिकारियों और पुलिसजन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय-समय पर आदेश करे ।

[5][इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार अवधारित करे ।]

---

1 Short title given by the Indian Short Titles Act, 1897 (14 of 1897)
2 Ins. By Act No. 8 of 1895, sec 1.
3 The definitions relating to "number" and "gender" rep. by Act No. 10 of 1914, sec. 3 and sch. II.
4 Cf. definition of "cattle" in sec. 3 of the Cattle-trespass Act, 1871 (1 of 1871).
5 Ins. by the A.O. 1937.

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

3. राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा

साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र, पुलिस का अधीक्षण, उस राज्य सरकार में, जिसके अधीन ऐसा जिला हो, निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा; और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अतिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा ।

4. पुलिस महानिरीक्षक आदि

साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में, जो पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, निहित होगा ।

जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अधीन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षकों में जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे, निहित होगा ।

5. महानिरीक्षक की शक्तियां - शक्तियों का प्रयोग

साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की सम्पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी किन्तु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा ।

6. पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां । - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 2 और अनुसूची 1(ख) द्वारा निरसित ।

7. अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि

संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के और ऐसे नियमों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षकगण, सहायक महानिरीक्षकगण, और जिला अधीक्षकगण, किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को, पदच्युत, निलम्बित या अवनत कर सकेंगे जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पाएं या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाएं,

या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या जो स्वकार्येण अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वत: को अयोग्य कर लेता है, निम्न दण्डों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा, अर्थात् :–

(क) एक मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना;

(ख) दण्ड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित पंद्रह दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध;

(ग) सदाचरण वेतन से वंचित करना;

(घ) विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना ।

8. पुलिस अधिकारियों को प्रमाणपत्र

धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर, महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की, जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे मुद्रांकित, इस अधिनियम से उपाबद्ध प्ररूप में एक प्रमाणपत्र मिलेगा जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाणपत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे ।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Surrender of Certificate: - Such certificate shall cease to have effect whenever the person named in it ceases for any reason, to be a police-officer, and on his ceasing to be such an officer, shall be forthwith surrendered by him to any officer empowered to receive the same.

A police-officer shall not, by reason of being suspended from office, cease to be a police-officer. During the term of such suspension, the powers, functions and privileges vested in him as a police-officer shall be in abeyance, but he shall continue subject to the same responsibilities, discipline and penalties and to the same authorities, as if he had not been suspended.

9. Police-officers not to resign without leave or two months' notice

No police- officer shall be at liberty to withdraw himself from the duties of his office unless expressly allowed to do so by the District Superintendent or by some other officer authorized to grant such permission, or without the leave of the District Superintendent, to resign his office, unless he shall have given to his superior officer notice in writing, for a period of not "less than two months, of his intention to resign.

10. Police-officers not to engage in other employment

No police-officer shall engage in an employment or office whatever other than his duties under this Act, unless expressly permitted to do so in writing by the Inspector-General.

11. Police superannuation fund *- [Rep. by the Repealing Act, 1874 (16 of 1874), sec.1 and Sch. Pt. I].*

12. Power of Inspector-General to make rules

The Inspector-General of Police may, from time to time, subject to the approval of the State Government, frame such orders and rules as he shall deem expedient relative to the organisation, classification and distribution of the police-force, the places at which the members of the force shall reside, and the particular services to be formed by them; their inspection, the description of arms, accoutrements and other necessaries to be furnished to them; the collecting and communicating by them of intelligence and information, and all such other orders and rules relative to the police-force as the Inspector-General shall, from lime to lime, deem expedient for preventing abuse or neglect of duty, and for rendering such force efficient in the discharge of its duties.

13. Additional police-officers employed at cost of individuals

It shall be lawful for the Inspector-General of Police or any Deputy Inspector- General or Assistant Inspector-General, or for the District Superintendent, subject to the general direction of the Magistrate of the district, on the application of any person showing the necessity thereof, to depute any additional number of police-officers to keep the peace at any place within the general police-district and for such time as shall he deemed proper. Such force shall he exclusively under the orders of the District Superintendent and shall be at the charge of the person making the application:

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण – जब कभी प्रमाणपत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है तब ऐसा प्रमाणपत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित किया जाएगा ।

पुलिस अधिकारी अपने पद से निलम्बित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से परिविरत नहीं हो जाएगा; ऐसे निलम्बन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार, जो पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित हैं, प्रास्थगित रहेंगे, किन्तु वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शक्तियों और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेगा, मानो वह निलम्बित नहीं हुआ है ।

9. पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या दो मास की सूचना के पद - त्याग नहीं करेंगे

जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्तत: अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए या जब तक वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना दो मास से अन्यून अवधि के लिए न दे दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाजत के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र न होगा ।

10. पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे

जब तक महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए अभिव्यक्तत: उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे ।

11. पुलिस अधिवार्षिकी निधि। - निरसन अधिनियम, 1874 (1874 का 16) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा निरसित ।

12. महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति

पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से, उन स्थानों से, जिनमें बल के सदस्य निवास करेंगे, और बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं से, उनके निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुधों, साज-सज्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वर्णन से उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण और संसूचना से सम्बद्ध ऐसे आदेश और नियम जिन्हें वह समीचीन समझे, और पुलिस बल से सम्बद्ध ऐसे सब अन्य आदेश और नियम जिन्हें महानिरीक्षक कर्तव्य के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के लिए, और ऐसे बल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए समय-समय पर समीचीन समझे, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन समय-समय पर बना सकता |

13. व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी

पुलिस महानिरीक्षक या किसी उपमहानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निदेशन के अधीन रहते हुए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसकी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर साधारण पुलिस जिले के अन्दर किसी स्थान पर शान्ति बनाए रखने के लिए और ऐसे समय के लिए जो उचित समझा जाए, पुलिस अधिकारियों की कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर दे। ऐसा बल अनन्यतः जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा और उसका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा :

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

THE
UTTAR PRADESH POLICE REGULATIONS ACT

उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम (रेगुलेशन) अधिनियम

हिंदी संस्करण

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम (रेगुलेशन) अधिनियम			
Cha.	**TOPIC**	***Sections***	***Page No.***
	भाग I : अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य		
I	वरिष्ठ अधिकारीगण	*1- 17A*	*31-36*
II	रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व उप-निरीक्षक	*18-24*	*37*
III	लोक अभियोजक और उनके अधीनस्थ	*25-39*	*38*
IV	मण्डल निरीक्षक (सर्किल) इन्स्पेक्टर	*40-42*	*38-39*
V	उपनिरीक्षक और सिविल पुलिस के अवर (अधीनस्थ) अधिकारी थाने का भारसाधक अधिकारी	*43-64*	*40-43*
VI	सशस्त्र पुलिस	*65-72*	*44-47*
VII	सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व (आरक्षित)	*73-78*	*48*
VIII	घुड़सवार पुलिस	*79-88*	*49-50*
IX	ग्राम पुलिस	*89-96A*	*51-52*
	भाग II: विशेष कर्तव्य		
X	पुलिस थानों में दर्ज रिपोर्ट	*97-103*	*53-54*
XI	अनुसंधान	*104-128*	*55-59*
XII	पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार	*129-146*	*60-65*
XIII	गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा	*147-164*	*66-70*
XIV	सम्पत्ति को अभिरक्षा और निस्तारण	*165-173*	*71-73*
XV	विशेष अपराध	*174-185*	*74-77*
XVI	अपराधी जन-जातियाँ, विदेशी और आवारा (खानाबदोश)	*186-189*	*77*
XVII	गश्त और नाकाबन्दी	*190-195*	*78-79*
XVIII	विशेष गार्ड और अतिरिक्त पुलिस	*196-214*	*80-83*
XIX	फरार अपराधी	*215-222*	*84-86*
XX	बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी	*223-276*	*87-101*
XXI	प्रक्रियाओं का निष्पादन	*277-282*	*102*
XXII	अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज़	*283-300*	*103-107*
XXIII	पुलिस थानों पर रखे गये लेखे	*301-308*	*108-110*
XIV	भारतीय राज्य	*309-321*	*110*
XXV	जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग और पंजीकरण	*322-327*	*111*
XXVI	अकाल के समय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश	*328-337*	*112-113*
XXVII	विशेष विधियों और नियमों के अधीन कर्तव्य	*338-369*	*114-118*
XXVIII	प्रकीर्ण	*370-395*	*119-123*
	भाग III: आंतरिक प्रशासन		
XXIX	नियुक्ति	*396-427*	*124-129*
XXX	पदोन्नतियाँ	*428-463B*	*130-140*
XXXI	पारितोषिक	*464-476*	*141-144*
XXXII	पुलिस अधिकारियों को विभागीय दण्ड और उनका आपराधिक अभियोजन	*477-507A*	*145-159*
XXXIII	अपील, पुनरीक्षण याचिका और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ	*508-519A*	*160165*
XXXIV	स्थानान्तर	*520-526*	*166-167*
	भाग IV: प्रशिक्षण		
XXXV	राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और रिजर्व उप-निरीक्षकों का प्रशिक्षण	*527-533*	*168-170*
XXXVI	उप-निरीक्षकों का प्रशिक्षण	*534-538*	*171-172*
XXXVII	प्रधान कान्सटेबिलों और कान्सटेबिलों का प्रशिक्षण	*539-554*	*173-175*

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

प्रथम भाग
अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

अध्याय 1
वरिष्ठ अधिकारीगण

1. **महानिदेशक** - महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी है और पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर सपरिषद वर्नर के सलाहकार हैं। सपरिषद् गवर्नर की ओर से जारी किए जाने वाले सभी आदेश पुलिस बल के सभी सदस्यों को उसके मार्फत जारी किए जाते हैं, अति आवश्यक दशाओं के सिवाय, जिनमें अधीनस्थ अधिकारियों को सीधे जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ उसे भेज दी जाती हैं। कोई पुलिस अधिकारी सपरिषद् गवर्नर से उसके मार्फत के सिवाय पत्र व्यवहार नहीं कर सकेगा, तब तक नियम के द्वारा विशेषतया प्राधिकृत न कर दिया गया हो। प्रशासनिक चर्चा सम्बन्धी मामले के रूप में, उसका सम्बन्ध राजपत्रित अधिकारियों कर्मचारी मण्डल के सामान्य आवंटन और निधियों के सामान्य वितरण से ही रहता है। कुछ नगरों और थानों में निरीक्षकों को पदस्थ करने, स्थानान्तरण करने और अवकाश अनुदत्त (मंजूर) करने और उस लिपिकीय कर्मचारी मण्डल को पदस्थ करने, स्थानान्तरित करने और पदोन्नत करने बाबत, जो उसके द्वारा पूरी सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं, के सिवाय, अराजपत्रित कर्मचारी मंडल के मामले में पूर्ण उत्तरदायित्व (जिम्मेदारी) उप महानिरीक्षक की प्रत्यायोजित कर (सौंप) दिया गया है।

अतिरिक्त महानिरीक्षक

1-ए. **अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक -** अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्रों के उप-महानिरीक्षकों को यथोचित मार्ग दर्शन करेंगे। अपने क्षेत्रान्तर्गत कर्मचारियों अधिकारियों के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य अधिकार निम्नवत् होंगे-

(1) अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों के अराजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण करना। अतः परिक्षेत्रीय स्थानान्तरण पुलिस मुख्यालय के स्तर से ही पूर्ववत् किये जाते रहेंगे, परन्तु उनके सम्बन्ध में प्रक्रिया यह होगी कि यह आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा अब सम्बन्धित अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक की संस्तुतियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों के प्रतिवेदन, अपीलों, रिवीजन याचिकाओं आदि का निस्तारण करना।

(3) अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के राजपत्रित अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना जो अब तक पुलिस महानिरीक्षक स्वीकृत करते थे।

(4) अपने क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु उनके कार्य के सम्बन्ध में अपना मंतव्य पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध कराना।

(5) ऐसे अन्य कार्य जो शासन या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जाएँ।

2. कुछ उप महानिरीक्षक जिले के रेंज के प्रभार (चार्ज) हैं। उनमें से प्रत्येक अपने रेंज की पुलिस की दक्षता के लिये उत्तरदायी हैं और उसे देखना चाहिये कि प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जाता है। उसे अपने अधीक्षकों से सदैव निकट सम्पर्क में रहना चाहिये और उन्हें सहायता पहुँचाना, परामर्श देना या उन पर नियन्त्रण बनाये रखने के लिए तत्पर रहना चाहिये। उसे वर्ष में कम से कम एक बार हर एक जिले के अधीक्षक के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और विहित प्रारूप (फार्म) में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना चाहिये। उसे प्रारूप के छपे हुये शीर्षों में अपने सम्प्रेक्षण (नतीजे) अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं है, आठवें 'अपराध के कार्यकरण' और नवें 'सामान्य' के सिवाय यदि प्रत्येक वाद व्यवस्थित हो और किसी कार्यवाही के किए जाने की अपेक्षा न हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट में ऐसे विषयों को वर्णित करे जो अधिकतम यथोचित रूप से जिले के कर्मचारी मण्डल का मार्ग दर्शन कर सकें या अपने उत्तराधिकारी को सूचना दे सकें। अपना निरीक्षण पूरा कर लेने पर वह तत्काल त्रुटियों का उपचार करने (नुक्स को ठीक करने) के लिये ऐसी समस्त कार्यवाही करेगा जो उसकी शक्तियाँ अनुज्ञा देती हों और गम्भीर दोष या उन सिद्धान्तों के प्रश्न जिनसे व्यवहार करने की उसे शक्ति नहीं है, महानिरीक्षक को निर्दिष्ट करेगा।

3. उप महानिरीक्षक अपने रेन्ज में अपराध पर सामान्य पर्यवेक्षण (निगरानी) के लिए उत्तरदायी है, उन्हें यह देखना चाहिए कि गम्भीर प्रारम्भ (out break) से निपटने के लिये उचित उपाय किये जाते हैं और जिलों के बीच सहयोग प्रभावी रहता है। इस प्रयोजन के लिये उसे (1) डकैती (2) वध (3) लूट (4) विष देने और (5) प्रकीर्ण मामलों के

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

रजिस्टर महानिरीक्षक के प्रारूप क्र० 138 में रखना चाहिये। वह महानिरीक्षक को एक पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसकी रेन्ज से सम्बन्धित ऐसे मामलों को अन्तर्विष्ट (शामिल) करेगी जिनके बारे में उसका यह विचार हो कि महानिरीक्षक को सूचित होना चाहिये। इसके साथ डकैतियों का एक विवरण, प्रत्येक मामले की अत्यन्त सूक्ष्म विशिष्टियाँ देते हुए संलग्न किया जावेगा। वह असाधारण मामलों में अपराध की विशेष रिपोर्ट महानिरीक्षक को भेजेगा। अधीक्षक को विशेष महत्वपूर्ण स्वरूप के विषयों को, जिनके बारे में सरकार तत्काल सूचना अपेक्षित करे, यथा प्रशांति को गम्भीर भंग, यूरोपियों और भारतीयों के बीच भिड़न्त और राजनैतिक स्वरूप के महत्वपूर्ण विषयों को महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करना चाहिये, परन्तु जहाँ तक सम्भव हो, उपमहानिरीक्षक वह प्रणाली होगा जिसके मार्फत महानिरीक्षक सूचना प्राप्त करेगा। वार्षिक जिला प्रशासन रिपोर्ट की प्राप्ति पर उप महानिरीक्षक को अपनी पूरी रेन्ज के लिये इन मामलों पर टिप्पणियों सहित जो प्रान्तीय रिपोर्ट में विशेष उल्लेख किये जाने योग्य हों, एक पुनर्विलोकन तैयार कर महानिरीक्षक को भेज देना चाहिये।

पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण के उप महानिरीक्षक रेन्ज के प्रशिक्षण केन्द्रों में पर्यवेक्षण करने और सामान्जस्य रखने के लिये उत्तरदायी होंगे जिसका वह समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त, अन्यत्र प्रारम्भ की गई प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों के सम्पर्क में रहेंगे और उन्हें पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग करने के लिये अपनायेंगे।

वह पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद, सीतापुर स्थित आर्ल्ड पुलिस सेन्टर तथा पुलिस मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कशाप और लखनऊ स्थित वायरलेस सेक्शन पर भी प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण करेंगे, जो सभी, सीतापुर स्थित पुलिस मोटर ट्रान्सपोर्ट, वर्कशाप के अतिरिक्त उनके प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन रहेंगे। वह विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण नियमावलियाँ प्रारूपित करेंगे।

महानिरीक्षक के सहायक, सहकारी रेलवे पुलिस

4. सरकारी रेलवे पुलिस के प्रभार में रहने वाला महानिरीक्षक का सहायक अपने प्रभार में रहने वाले रेलवे पुलिस थानों के सम्बन्ध में रेन्ज के उप महानिरीक्षक की भाँति ही शक्तियाँ, कर्तव्य और दायित्व धारण करता है, निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को पदच्युत की शक्ति के सिवाय, जो पुलिस मुख्यालयों और रेल के उप महानिरीक्षक में निहित रहती है।

आयुक्त (कमिश्नर)

5. आयुक्त शब्द में, जहाँ कहीं भी वह पुलिस विनियमों में आये, कलेक्टर या किसी सम्भाग की भारसाधक उप आयुक्त सम्मिलित होंगे।

सम्भागों के आयुक्त, अपने-अपने सम्भागों के जिला मजिस्ट्रेटों पर प्रशासन की अन्य शाखों की भाँति पुलिस से सम्बन्धित में, सामान्य पर्यवेक्षण करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों के बारे में उनके कर्त्तव्यों के लिये आफिस मैनुअल का पैरा 62 देखिये।

जिला मजिस्ट्रेट

6. जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है, और उस समार्थ्य में पुलिस के कार्यों को, नियन्त्रित और निर्देशित करता है। वह ग्राम चौकीदारों का दण्डित करने के सम्बध में विभागीय शक्तियाँ रखता है, निरीक्षकों और थाने के भारसाधक अधिकारियों के स्थानान्तर के लिये उसका अनुमोदन आवश्यक होता है (पैरा 524), और वह इनाम देने या सेवा और चरित्र तालिका में प्रविष्टियाँ करने की सिफारिश कर सकता है (आफिस मैनुअल का पैरा 296) अधीक्षकों सम्बन्धी ऐसे भाग को, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट से सम्बन्ध रखता हो या जिले के सामान्य प्रशासन को प्रभावित करे, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से होकर निकलना चाहिये।

परन्तु यह कि उन जिलों में जहाँ कलेक्टर उप आयुक्त, संभाग का भारसाधक कलेक्टर/उप आयुक्त हो, निरीक्षकों और थाने के भारसाधक अधिकारियों के स्थानान्तर के बारे में उसके कृत्यों का प्रयोग अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालन) द्वारा किया जायेगा।

7. जिला मजिस्ट्रेट को अधीक्षक द्वारा घटित होने वाले सभी गम्भीर अपराधों और सामान्य रूप से अपराधों के परिणाम वृद्धि की तत्परता से सूचना दी जानी चाहिये और उसे जिले के भीतर अपराधों का, उसके स्थल और कारणों का पाक्षिक पुनर्विलोकन प्राप्त करना चाहिये। इसी प्रकार के अपराधों के पुनर्विलोकन, सामान्यतया या तो पाक्षिक या मासिक रूप से उप महानिरीक्षक को रेन्ज के क्रम अनुसार भेजे जावेंगे। अधीक्षक को चाहिये कि वह जिला

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

552. ड्रिल अनुदेशकों को जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में निरीक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लिया हो, प्रातः परेड के विसर्जन के पश्चात् निरीक्षण में अनुदेश देने के लिये दैनिक कक्षा लेना चाहिये। सशस्त्र पुलिस के सभी उपनिरीक्षक और प्रधान कान्सटेबिल, जो लाइन में उपलब्ध हों और निरीक्षण में प्रमाण-पत्र धारण न करते हों उन्हें इस कक्ष में तब तक उपस्थित रहना चाहिए जब तक वे पुलिस अधीक्षक के समाधान कारक योग्यता प्राप्त न कर लें।

553. जिले के रिजर्व लाइन के स्कूलों में नियोजित प्रशिक्षण अध्यापक, नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस समयावधि के दौरान या समाप्ति पर किसी अध्यापक को, जिसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक पाया जावे, किसी नगरपालिका या जिला बोर्ड के अधीन, उसके मूल पर लौटा दिया जावेगा। उन अध्यापकों को, जिनका परिवीक्षा में रहते हुये आचरण और कार्य समाधानकारक पाया जावे, पुलिस में स्थाई रूप से अन्तरित कर दिया जावेगा और वे पुलिस के लिपिकीय कर्मचारी मण्डल के लिये पेन्शन के और अन्य सामान्य नियमों के अध्याधीन रहेंगे। नगरपालिका या जिला बोर्ड में सेवा की गणना अवकाश के लिए की जावेगी, किन्तु पुलिस पेन्शन के लिये नहीं।

554. जब ऐसे अनुदेशों की कोई माँग हो, लाइन के स्कूलों में पदस्थ प्रशिक्षण अध्यापक, पुलिस अधिकारियों के बालकों को प्राथमिक शिक्षा देंगे।

कक्षाएँ प्रातः काल के प्रारम्भ में लगाई जावें जब कि अध्यापक रंगरूटों को अनुदेश देने में व्यस्त न हो। प्रत्येक अध्यापक 16 बच्चों से अधिक की कक्षा नहीं लेगा। इसके लिये कोई व्यय नहीं लिया जायेगा और बच्चों के अनुदेशन को रंगरूटों के अनुदेशन में किसी भी रीति से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Linking Laws
Link Life with Law

Welcome to the ultimate Khallas Classs!

Ek Class
BNSS 2023 khalias

Ek Class
BSA 2023 khalias

Ek Class
BNS 2023 khalias

Ek Class
Advocate Act, 1961
khallas

How to use Bare
Act in AIBE
Exam??

Ek Class
AIBE 20th Khalias

AIBE 21 Guidance
Program 2026

Upcoming Course | Validity 06 Months

Recorded Lectures
E-Access of Study Material
Diagrammatic Way of Making Notes
Four Kind of Test Practice Session

Linking Laws is available on below platform
Download on the App Store | GET IT ON Google Play | Download for Windows | Mac App Apple Chip | Mac App Intel Chip

www.LinkingLaws.com

Sample Preview